भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 51/8/7/2019-ईएमएलएस **दिनांकः 1 जनवरी, 2020**

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र

विषयः लोक सभा/विधान सभा के साधारण/उप निर्वाचन - वीवीपीएटी पर्चियों की मतगणना का छद्म ड्रिल - तत्संबंधी।

महोदय

मुझे आयोग के दिनांक 15 अप्रैल, 2019 के पत्र सं. 51/8/वीवीपीएटी/अनु/2019-ईएमपीएस के तहत जारी अनुदेशों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें आयोग ने लोक सभा और विधान-सभाओं के सभी निर्वाचनों में प्रति विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा सेग्मेंट से यादृच्छिक रूप से चयनित 05 मतदान केंद्रों की वीवीपीएटी पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन करने का निदेश दिया था।

आयोग ने यह निदेश दिया है कि सीईओ/डीईओ मतगणना कर्मचारियों के प्रशिक्षण के दौरान और सामान्यतः मतगणना दिवस से पूर्ववर्ती दिवस को संचालित मतों की गणना की छद्म ड्रिल के समय वीवीपीएटी पर्चियों की मतगणना के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे। इस प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिएः

i. केवल प्रशिक्षण और जागरूकता से संबंधित ईवीएम एवं वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी स्थिति में, आरक्षित ईवीएम एवं वीवीपीएटी का प्रयोग प्रशिक्षण और छद्म ड्रिल के लिए **नहीं** किया जाएगा।

ii. केवल आयोग के दिनांक 18 मई, 2017 के पत्र सं. 51/8/अनु/2017-ईएमएस (प्रति संलग्न) के तहत निर्धारित डमी प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा।

iii. वीवीपीएटी पर्चियों की गणना की छद्म ड्रिल के लिए, एक डमी वीवीपीएटी गणना बूथ (वीसीबी) बनाया जाएगा।

iv. छद्म ड्रिल के लिए कम से कम 500 वीवीपीएटी पर्चियों को जेनरेट किया जाएगा।

v. वीवीपीएटी पर्चियों की गणना की छद्म ड्रिल, वीवीपीएटी पर्चियों की गणना की उचित प्रक्रिया के बाद वीसीबी में आयोजित की जाएगी।

vi. वीवीपीएटी पर्चियों की गणना की छद्म ड्रिल आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में की जाएगी।

आयोग के उपर्युक्त अनुदेशों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय

ह/-

(मधुसूदन गुप्ता)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 51/8/अनु/2017-ईएमएस दिनांकः 18 मई, 2017

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के

विषयः ईवीएम एवं वीवीपीएटी के प्रशिक्षण (प्रदर्शन एवं जागरूकता कार्यक्रम सहित) के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

महोदय/महोदया

मुझे ईवीएम एवं वीवीपीएटी के अवलोकन और अनुपालन के लिए प्रशिक्षण (प्रदर्शन एवं जागरूकता कार्यक्रम सहित) हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) की एक प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

उपरोक्त एसओपी के अनुपालन में किसी भी चूक को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। उक्त एस ओ पी सभी संबंधितों के ध्यान में लाई जाएगी।

भवदीय

ह/-
(मधुसूदन गुप्ता)
अवर सचिव

प्रतिः

1. अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक,
   भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
   नगवाडा, बाहरी रिंग रोड,
   बेंगलुरू - 560045, कर्नाटक।
2. अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक,
   इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
   हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।

ईवीएम एवं वीवीपीएटी के प्रशिक्षण (प्रदर्शन एवं जागरूकता कार्यक्रम सहित) हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया

आयोग ने निदेश दिया है कि ईवीएम और वीवीपीएटी के प्रशिक्षण (प्रदर्शन एवं जागरूकता कार्यक्रम सहित) हेतु निम्नलिखित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालन किया जाएगाः

- उपर्युक्त प्रयोजनार्थ प्रयुक्त ईवीएम अथवा/और वीवीपीएटी की जांच/टेस्टिंग मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीइएल) और मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), जैसा भी मामला हो, के प्राधिकृत अभियंताओं द्‌वारा प्रथम स्तरीय जाँच (एफएलसी) के दौरान की जाएगी।
- प्रशिक्षण, प्रदर्शन और जागरूकता अभियान के लिए केवल "एफएलसी ओके" यूनिटों का प्रयोग किया जाएगा।
- बीईएल एवं ईसीआईएल के अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि ईवीएम और वीवीपीएटी में पूर्व निर्वाचन का कोई भी डाटा (बैलेट यूनिट के संबंध में, बैलेट पेपर सहित) नहीं हो।
- अभियंता बैलेट पेपर और वीवीपीएटी के लिए केवल डमी प्रतीकों का उपयोग करेंगे, जैसा कि नीचे उल्लिखित हैः
    - अभ्यर्थियों के नाम के लिए - एएए, बीबीबी, सीसीसी, ------------ और इसी तरह;
    - अभ्यर्थियों के प्रतीक के लिए - अल्फा(**α**), बीटा(**ß**), गामा(**y**)------ और इसी तरह।

सैंपल

प्रशिक्षण/प्रदर्शन(डेमो)/जागरूकता के लिए		
1	**ए ए ए**	**α**
2	**बीबीबी**	**ß**
3	**सीसीसी**	**y**
-	- - -	-
-	- - -	-

- केवल डमी नामों और प्रतीकों युक्त सैंपल बैलेट पर्चियों का उपयोग ईवीएम अथवा/और वीवीपीएटी के प्रशिक्षण, प्रदर्शन, जागरूकता अभियान और प्रथम स्तरीय जाँच के लिए किया जाएगा।

- बीईएल/ईसीआईएल यह सुनिश्चित करेंगे कि ईवीएम अथवा/और वीवीपीएटी के प्रशिक्षण, प्रदर्शन, जागरूकता अभियान और प्रथम स्तरीय जाँच के लिए तैनात अभियंताओं के पास प्रतीक लोड करने और सैंपल बैलेट पर्चियों एवं डमी डाटा का क्रमवार प्रिंट आउट मुद्रित करने के लिए प्रिंटर तैयार करने हेतु आवश्यक उपस्कर/ज़िग हों।

ह/-